

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 6/2018-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 06 जून, 2018

का.आ. (ई) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा के 152 अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं

तालिका

क्र. सं.	नोटिसियों का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै आरएचआई इंडिया प्रा. लि., नीलकंठ बिज़नस पार्क, C-604, रेल्वे स्टेशन के सामने, विध्याविहार (पश्चिम), मुंबई-400086 और श्री जगदीश पारिख, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मै आरएचआई इंडिया प्रा. लि., नीलकंठ बिज़नस पार्क, C-604, रेल्वे स्टेशन के सामने, विध्याविहार (पश्चिम), मुंबई-400086	फा. स. DRI/AZU/CI/ Enq- 47/SFIS/2017 दिनांक 25.04.2018.	प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क/ आयुक्त सीमाशुल्क (पोर्ट), कोलकाता सी, कोलकाता. प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क/ आयुक्त सीमाशुल्क, एयरपोर्ट और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, कोलकाता.	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई. (तालिका के क्रम स. 1 से 4 के लिए)
2.	मै आरएचआई इंडिया प्रा. लि., नीलकंठ बिज़नस पार्क, C-604, रेल्वे स्टेशन के सामने, विध्याविहार (पश्चिम), मुंबई-400086 और श्री जगदीश पारिख, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मै आरएचआई इंडिया प्रा. लि., नीलकंठ बिज़नस पार्क, C-604, रेल्वे स्टेशन के सामने, विध्याविहार (पश्चिम), मुंबई-400086	फा. स. DRI/AZU/CI/ Enq- 47/SFIS/2017-Pt-II दिनांक 16.05.2018.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (पोर्ट), कोलकाता सी, कोलकाता.	

3.	<p>मै केपीएमजी ग्लोबल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, बिल्डिंग न. 10, 5^{वां} और 6^{वां} तल, टावर-C, डीएलएफ साइबर सिटी, फ़ेस-II, गुरुग्राम-122002 और कुमारी शालिनी पिल्ले, निदेशक, मै केपीएमजी ग्लोबल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, बिल्डिंग न. 10, 5^{वां} और 6^{वां} तल, टावर-C, डीएलएफ साइबर सिटी, फ़ेस-II, गुरुग्राम-122002</p>	<p>फा. स. DRI/AZU/ CI/Enq-52/SFIS-KPMG/2017 दिनांक 01.03.2018.</p>	<p>प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क/ आयुक्त सीमाशुल्क, एयरपोर्ट और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, बेंगलुरु.</p> <p>प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क/ आयुक्त सीमाशुल्क, बेंगलुरु सिटी आयुक्तालय, बेंगलुरु.</p> <p>प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क/ आयुक्त सीमाशुल्क (चेन्नई-VII), एयर कार्गो आयुक्तालय, चेन्नई. (एसईजेड कांचीपुरम)</p> <p>प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क/ आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-II), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.</p> <p>प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क/ आयुक्त सीमाशुल्क (चेन्नई-IV), कस्टम हाउस, चेन्नई.</p> <p>प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क/ आयुक्त सीमाशुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (निर्यात), न्यू कस्टम हाउस, दिल्ली.</p>	
4.	<p>मै अशलंद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 601, 606-608, प्लैटिनम टेकनॉपार्क, प्लॉट न. 17-18, सेक्टर-30A, वाशी, नवी मुंबई-400075 और श्री दीपक सक्सेना, भूतपूर्व वित्त नियंत्रक, मै अशलंद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 601, 606-608, प्लैटिनम टेकनॉपार्क, प्लॉट न. 17-18, सेक्टर-30A, वाशी, नवी मुंबई-400075</p>	<p>फा. स. DRI/AZU/CI/ Enq-48/SFIS/2017 दिनांक 15.03.2018.</p>	<p>प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क/ आयुक्त सीमाशुल्क (IV), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (निर्यात), मुंबई.</p> <p>प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क/ आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-II), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.</p>	
5.	<p>मै सरताज एंटरप्राइसेस, 4-25/41/2/A/2/NR, पिल्लर न. 226 के सामने, वादी-ए-महमूद, वादी-ए-सुलेमान नगर,</p>	<p>फा. स. DRI/HZU/ 26C/ Enq-30(Int-23)/2017 दिनांक 27.04.2018.</p>	<p>प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क/ आयुक्त सीमाशुल्क, हैदराबाद कस्टमस आयुक्तालय, जीएसटी भवन, बशीरबाघ,</p>	<p>प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क/ आयुक्त सीमाशुल्क, हैदराबाद कस्टमस आयुक्तालय,</p>

	पी. वी. नरसिम्हा राव एक्सप्रेस हाइवे रोड, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद-500052		हैदराबाद. आयुक्त सीमाशुल्क, चेन्नई-IV आयुक्तालय, कस्टम हाउस, कोलकाता.	जीएसटी भवन, बशीरबाघ, हैदराबाद.
6.	मै फीनिक्स कंवेयर बेल्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आइडियल प्लाज़ा, नॉर्थ ब्लॉक, 4 ^थ तल, 11/1, सरट बोस रोड, कोलकाता-700020 और 11 अन्य.	फा. स. DRI/AZU/ GRU/Goodpack-PCB (Int-26/2016)/2018 दिनांक 09.05.2018.	प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (पोर्ट), कस्टम हाउस, कोलकाता.	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई.
7.	मै जीटीपीएल हेथवे लिं., C-202, 2 ^थ तल, सहजानन्द शॉपिंग सेंटर, स्वामीनारायण मंदिर के सामने, शहीबौग, अहमदाबाद-380004 और 2 अन्य.	फा. स. DRI/MZU/ CI/INT- 19/2016 दिनांक 29.05.2018.	प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, मुँदरा. प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, अहमदाबाद. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई.
8.	मै सिगनेट केमिकल कार्पोरेशन प्रा. लिं., A-801, क्रेस्केंजों, C/38-39, G-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई-400051.	फा. स. DRI/MZU/D/ Int-77/2017 दिनांक 03.01.2018.	प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-I), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. आयुक्त सीमाशुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहार, मुंबई. आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-IV), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई.

[फा. स. DRI/HQ-CI/50D/CAA-5/2018-CI]

(शैलेश कुमार)
अपर निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. प्रधान अपर महानिदेशक/ अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, अहमदाबाद, हैदराबाद और मुंबई।
4. तालिका के स्तंभ (2) वर्णित नोटिसी।